जारी
5/11/14

महत्वपूर्ण / आज ही

संख्या 1149 / 405–वा0जि0यो0 / रा0यो0आ0 / 2013

प्रेषक,

डा0 रणवीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड,

राज्य योजना आयोग **देहरादून** **दिनांक : 05 नवम्बर, 2014**

विषय : वर्ष 2014–15 में जिला योजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अद्योहस्ताक्षरी के पत्र संख्याः 747 / वा.जि.यो. / रा.यो.आ. / 2013 दिनांक 04 जुलाई, 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। त्रिस्तरीय पंचायतें अस्तित्व में न होने एवं जिला योजना समितियों के गठन न होने के कारण वर्ष 2013–14 के परिव्यय को आधार मानते हुए 50% की सीमा तक वर्ष 2014–15 में धनराशि अवमुक्त किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव तो सम्पन्न हो चुके है। अब जनपदों में जिला योजना समितियों के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया का कार्य गतिमान है। सम्भवतः जिला योजना समितियों के गठन में अभी और अधिक समय लगने की सम्भावना है। अतः वर्ष 2014–15 की जिला योजनायें अनुमोदित होने में अभी समय लगेगा। राज्य में आपदा पुर्ननिर्माण व विकास कार्य प्रभावित न हों, इसके दृष्टिगत निम्न व्यवस्था की जाती है।

1. मुख्य सचिव के पत्र संख्याः 1041 / वा.जि.यो. / रा.यो.आ. / 2013–14 दिनांक 19 सितम्बर, 2014 के द्वारा समस्त विभागों को आयोजनागत योजनाओं हेतु गत वर्ष (2013–14) में विभाग के कुल अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक वर्ष 2014–15 के लिए धनराशि अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2– वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में जनपदवार पारित जिला योजना के बजट प्राविधान की सम्पूर्ण धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 497 / XXVII(1) / 2014 दिनांक 29 मई, 2014 के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रख दी गयी है।

3– सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिला सैक्टर के अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु गत वर्ष (2013–14) में विभागवार कुल अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक वित्तीय वर्ष (2014–15) के लिए धनराशि अवमुक्त कर दी जाय। जिससे विकास कार्यक्रमों की प्रगति में निरन्तरता बनी रहे।

अतः आपसे आग्रह है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि धनाभाव के कारण विकास कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

भवदीय,

5/11/2014
(डा0 रणवीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या 1149 / 405–वा0जि0यो0 / रा0यो0आ0 / 2013 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन।
2. प्रमुख सचिव मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त निजी सचिव, मा0 प्रभारी मंत्रीगण, जिला योजना समिति।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. निजी सचिव अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
6. मण्डलायुक्त कुमाँयू मण्डल, नैनीताल / गढवाल मण्डल, पौडी।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, निदेशालय, नैशविला रोड, देहरादून।
9. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।

o/c

5/11/2014
(डा0 रणवीर सिंह)
प्रमुख सचिव।